

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES / TRUST

I hereby certify that **Swami Shree Sahajanand Sewa Samiti Trust, Majhawa (Prem ka Pura), Kachhawa Bazar, Mirzapur, U.P.** has this day been registered under the Trust Registration Act 1882.

Given under my hand at **Duddhi, Sonbhadra** This **12th** day of **November Two Thousand Fourteen**.

Place:

Seal & Signature of Registrar of Societies

Date:

सुधी-सोनभद्रा
दुद्धी-सोनभद्रा

* The Filled up Certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

IV 35



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431002



**स्वामी श्री सहजानन्द सेवा समिति ट्रस्ट
न्यास विलेख (Instrument of Trust)**

यह न्यास विलेख आज दिनांक 11.11.2014 को आशीष कुमार सिंह पुत्र स्व० दिनेश कुमार सिंह निवासी ग्राम-मझवों (प्रेमकापुरा) पोस्ट-कछवों बाजार जिला-मिर्जापुर, उ०प्र० हालपता- क्वा० नं०- जे.आर.-428, हिण्डालको कालोनी, रेनुकूट जिला- सोनभद्र, उ०प्र० द्वारा निष्पादित किया गया है, जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक मु० 5,100/-रु० (पाँच हजार एक सौ रुपये) की राशि सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय चैरेटिबुल न्यास (Irrevocable Charitable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और यह ट्रस्ट " स्वामी श्री सहजानन्द सेवा समिति ट्रस्ट" के नाम से जाना जायेगा और कार्य करेगा जिससे कि आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 713949

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से जिसमें दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित हैं, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल मु0 5100/-रु0 (पाँच हजार एक सौ रुपये) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है इसके अतिरिक्त अन्य कोई चल अचल सम्पत्ति न्यास में नहीं है, और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-मझवों (प्रेमकापुरा) पोस्ट-कछवों बाजार जिला-मिर्जापुर, उ0प्र0 रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

स्वामी श्री सहजानन्द सेवा समिति ट्रस्ट :

उद्देश्य एवं नियमावली :

(A) ट्रस्ट के उद्देश्य :-

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों, इबोला उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नशा उन्मूलन केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबद्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, स्तरों, शासन आदि से उन्हे मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत, करा सकना।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431210

2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्युटर, प्रोफेशनल, आदि विषयों पर विभिन्न स्तरिय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
3. नागरिकों विशेषकर बालक, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वात्मन्वी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परिक्षाओं में छात्र, छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास, सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परिक्षाएं लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि करना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, इबोला कार्यक्रम, नशा उन्मूलन कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठीयों, सम्मेलन, प्रतियोगितायें, बैठक, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
9. समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स, इबोला, नशा उन्मूलन पर कार्यक्रम कर सकना।
10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।
11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीयता अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजिनियरिंग कालेज,



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431209

निर्धन कालेज, पालिटेक्निक, सी0टी0आई0, आई0टी0आई0, पुस्तकालय, फार्मसी, फिजियोथेरेपि आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना, तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास, आबद्ध, लैब टेक्नीशियन, सबद्ध, प्रबन्ध आदि कर सकना।

12. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाईटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित करना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना, एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना, एवं सेमिनार कर सकना।
18. कैसर, एड्स, इबोला, नशा उन्मुलन के बारे में जन-जागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना व उपरोक्त असाध्य बيمारियों के निवारण हेतु संस्थान/केन्द्र स्थापित कर सकना।
19. पुस्तक, पुस्तिकायें, पत्र, पत्रिकाएं, समाचरपत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्रय कर सकना।
20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
21. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना, तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431208

22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार, जैसे सामाजिक दायित्वों के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधार कर सकना।
24. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
26. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/विधि महाविद्यालय / इन्जीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा, और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।
27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार-प्रसार कर सकना।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431207

29. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने सम्मुख रखेगा एवं बंजर भूमि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना।
30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं का संचालन करना।
32. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना, गरीब असहायों एवं जरूरत मन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों को एवं अल्पसंख्यकों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघ शासित राज्यों में भी) शैक्षणिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्प्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंसाधन संस्थाएं, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।
33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
34. कृषकों को फल, फूल एवं औषधि, खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
35. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक का निर्माण करना।
36. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपने ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

(B) प्रारम्भिक उपबन्ध :

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431206

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से आशीष कुमार सिंह को न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of deed) भी हैं, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है, तथा आशीष कुमार सिंह पुत्र स्व० दिनेश कुमार सिंह ग्राम-मझवों (प्रेमकापुरा) पोस्ट-कछवों बाजार जिला मिर्जापुर उ०प्र०, अनिल कुमार पुत्र श्री रमाकान्त ग्राम-मझवों (पत्तीकापुरा) पोस्ट-मझवों, जिला-मिर्जापुर, उ०प्र० हालपता- श्री राम मिष्टान भण्डार, मुर्घवा, रेनुकूट सोनमद्र (उ०प्र०) व मुकेश कुमार सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह ग्राम-मखखियां, पोस्ट- पिपरियां, थाना दुर्गावती जिला भभुआ (कैमूर) बिहार हालपता- क्वा० न० एल-1057 हिण्डालको कालोनी रेनुकूट सोनमद्र उ०प्र० को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।
2. यह कि ट्रस्ट डीड वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित कर दी जाये तो आशीष कुमार सिंह के मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी पत्नी, तत्पश्चात् पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्री, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी आशीष कुमार सिंह की पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तराधिकारी पुत्री होगी। यही क्रम चलता रहेगा, इनके उत्तराधिकारियों के आलावा कोई बाहरी (अतिसन्निकट का ही व्यक्ति क्यों न हो) किसी भी परिस्थिति में ट्रस्ट का ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कभी भी नहीं हो सकता है, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष या ट्रस्टी द्वारा कभी भी किसी बाहरी (उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त) व्यक्तियों के नाम ट्रस्ट में सम्मिलित करने हेतु रजिस्ट्रार के यहाँ वसीयत या कोई भी पत्र रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो वह अवैध माना जायेगा, कभी भी ट्रस्टी की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। उत्तराधिकारी (पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्री)

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431205

आजीवन ट्रस्टी रहेंगे। उक्त नियमों में कोई भी परिवर्तन, परिमार्जन, परिवर्द्धन, किसी भी परिस्थितियों में कभी भी नहीं किया जा सकता।

- वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को अन्तरित कर सकते हैं।
- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी अवयस्क है तो उनकी ओर से उनकी माँ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी का कार्य तब तक सम्भालेंगी जब तक की उनके उत्तराधिकारी कानूनी रूप से बालिग न हो जाये।

(C) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :

- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद अपने पुत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
- किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी के घोषणा न कर पाने एव व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्टार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431204

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर सकता है जिस पर पुनर्विचार का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष में सुरक्षित रहेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

(D) बोर्ड आफ ट्रस्टीज:-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम ग्यारह सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को बोर्ड आफ ट्रस्टीज मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड आफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये बोर्ड आफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड आफ ट्रस्टीज मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद प्रयन्त ही कार्य करेगा।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431005

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

6. **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार:-** मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(E) अध्यक्ष/ मैनेजिंग ट्रस्टी, अन्य ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आवश्यकतों से युक्त निवास, कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा। मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431004

(F) **कार्यक्षेत्र**— ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा। वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता प्राप्त एवं राय प्राप्त कर सकता है, अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(G) **सचिव/उपसचिव की नियुक्ति**—

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिनप्रतिदिन के कार्यों को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(H) **उपाध्यक्ष की नियुक्ति**—

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसादपर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 431003

पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है, अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

(I) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:- यह कि इस डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे-

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व ढंग से देख-रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
3. इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(J) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(K) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य- ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी है, ट्रस्टी के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 713950

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य कलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
 3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
 4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
 5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
 6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
 7. प्रचार /प्रसार/मुद्रण/प्रशासन/वितरण/क्रय/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
 8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।
- (L) उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-
1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
 2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हैं।
 3. सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये गये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 696036

(M) बैंक एकाउण्ट -

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित होगा अथवा उनके निर्देश पर खाते का संचालन दो लोग भी (ट्रस्टियों में से) संयुक्त रूप से कर सकते हैं।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र /कार्यक्रम, ईकाई, कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय/केन्द्र/कार्यक्रम, ईकाई के अध्यक्ष के रूप में बैंक खाता खोला व संचालित किया जायेगा अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैंक खाता खोलकर संचालित किया जा सकेगा, जिसमें परिवर्तन का एकाधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 696035

(N) विधिक कार्यवाही :-

ट्रस्ट के विवाद को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जायेगा। भविष्य में यदि संस्था ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष/सचिव की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है। न्यास सम्पत्ति व न्यास का संचालन व प्रबंधन के बावत न्यासियों के किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय में वाद किसी भी परिस्थिति में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, यदि कोई विवाद न्यास व उसके संचालन प्रबंधन के बावत उत्पन्न होता है तो पंचायत द्वारा निर्णित किया जायेगा। पंचों की नियुक्ति अथवा नामकरण न्यासियों व अध्यक्ष (मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व ट्रस्टी) द्वारा किया जायेगा। यदि भविष्य में किसी सहायक न्यासी या सदस्य द्वारा किसी विवाद को न्यायालय में दाखिल किया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अगर किसी ट्रस्टी द्वारा कोई वाद-विवाद, चारित्रिक हनन, शोषण व दोष, संस्था के विरुद्ध अनैतिक कार्य करने पर जिससे संस्था की अहित हो व आर्थिक-सामाजिक क्षति हो उस दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अन्य दो ट्रस्टी से किसी एक का बहुमत लेकर उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, उसके स्थान पर उसके योग्य उत्तराधिकारी चक्रमानुसार (पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्री) ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है, एवं विषम परिस्थितियों में उस ट्रस्टी का विधिक अधिकार व सदस्यता समाप्त करने का अधिकार रहेगा।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 696034

(O) सम्पत्ति संबन्धी-

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है, जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/ विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, बन्धक रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है, अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट, धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 696033

7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Gurantee), भाड़ा क्रय (Hire purchase), अनुज्ञापि (Licence), बन्धक (Mortgage), भारित, (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ ले सकता है/ दे सकता है।

(P) विशेष :-

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित /कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/ कार्यक्रम /ईकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम /उपनियम इत्यादी बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट "स्वामी श्री सहजानन्द सेवा समिति ट्रस्ट" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे तथा मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा बनायी गयी समिति, उप समिति को स्वेच्छानुसार भंग करके उनका अधिकार अपने में निहित किया जा सकेगा, तथा विवेकानुसार समिति, उप समिति का गठन किया जा सकेगा।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 696032

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुये भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कभी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 696031

(ग) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/व्यक्तिगत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/ मेडिकल कालेज/विधि महाविद्यालय/इन्जिनियरिंग कालेज/पालिटेक्निक/आई0टी0आई0/सी0टी0आई0/पुस्तकालय/फार्मसी/फिजियोथेरेपी आदि संस्थानों, कार्यक्रमों/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन के लिए पृथक से नियम, उपनियम बनाया जायेगा व तत्सम्बन्धी विश्वविद्यालय, बोर्ड, सरकारी/अर्द्धसरकारी व मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/विभाग इत्यादी की आवश्यकतानुसार प्रबंध समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें ट्रस्ट द्वारा नामित व्यक्ति ही सदस्य व पदाधिकारी होंगे। नामित व्यक्ति बोर्ड आफ ट्रस्टी अथवा बाहर के सदस्य भी हो सकते हैं। समिति/उपसमिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी करेंगे। इस निमित्त उन्हें विश्वविद्यालय/ बोर्ड /विभाग के नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति /उपसमिति का अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक समझा जायेगा। इस प्रकार मैनेजिंग ट्रस्टी समिति / उपसमिति का सदस्य (अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक) आजीवन पदेन होगा, और समिति / उप समिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति/उप समिति का अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक बन कर किया जायेगा और आर्थिक प्रकरणों पर सहमति/अनुमति एवं अनुमोदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 696030

(घ) समिति के दो निदेशक अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं, जो संस्था के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक वातावरण बनाने में सहयोग करेंगे।

"स्वामी श्री सहजानन्द सेवा समिति ट्रस्ट" की उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमें सन्निहित "स्वामी श्री सहजानन्द सेवा समिति ट्रस्ट" की उद्देश्य एवं नियमावली, एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल कार्यान्वित की जाती है।

Ashish Kumar Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 696037

अतएव न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर, पढ़वाकर, स्वस्थ मन मस्तिष्क की दशा में चन्द गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बना दिया, कि यक्त जरूरत पर काम आवे व सनद रहे।

दिनांक:- 11.11.2014

मसविदाकर्ता- कृष्ण कुमार एडवोकेट दुद्धी सोनमद्र।

टाईपकर्ता- ओम गुप्ता।

12/11/2014

Ashish Kumar Singh
आशीष कुमार सिंह)
संस्थापक/अध्यक्ष

"स्वामी श्री सहजानन्द सेवा समिति ट्रस्ट"

गवाह 1-

(महराम सिंह S/o राजनारायण सिंह
बना - B-25(T) तुरी विपरी, लखनऊ (उप्र)

गवाह 2-

हरिशंकर सिंह
हरिशंकर सिंह S/o एच. शिवनारायण सिंह
गुंठ - मसकौ (पत्नी कापुटा)
पता - मसकौ
जिला - सितापुर, पिन-231501 (उप्र)

Handwritten notes at the top of the page, including the number '63' and some illegible text.

Handwritten date: 11/11/14
Stamp: मंत्री कार्यालय/सचिव, दिल्ली
दिनांक 11/11/14
433 30 62



रुपयें मात्र

रुपयें मात्र

भारत सरकार (Government of India) द्वारा जारी किया गया है।

को प्रतीक रूप में प्रयोग करने से बचना चाहिए।

Handwritten notes in red ink: 12/11, 25, 118, 33, 118

11/11/14

11/11/14

भारत सरकार
सचिव, दिल्ली

